न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 15/2023

उनवान

महेश
छुट्टन
मुकेश
दिनेश
} पुत्रान मदनलाल

समस्त व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी–लेटकाबास, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

किरण देवी पत्नी बाबूलाल
मीना देवी पत्नी सत्यनारायण
चिरंजीलाल पुत्र बंशीधर
साबरमल पुत्र बंशीधर
हनुमान पुत्र श्योबक्स

समस्त व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी–बिदारा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 27/2/23

. दावा संक्षेप में यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 336/0.13, 337/0.11, 338/0.16, 339/1.14, /0.06, 341/0.09, 342/0.10, 343/0.02, 344/0.24, 345/0.17, 346/0.12, 347/0.28, 357/0. 358/0.45, 359/0.04, 360/0.36, 361/0.40, 334/0.51 कुल किता 18 रकबा 3.78 है0 वाकै ग्राम काबास, पटवार हल्का कांट, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

ह कि वाद पत्र के जिमन 01 में वर्णित आराजी भूमि में वादीगण संख्या 01 लगायत 03 ने व इनकी कमोद बेवा मदनलाल जिनकी मृत्यु हो चूकी है ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2008 को ादीगण सं0 01 व 02 को अपना हिस्सा 4/5 भाग में से 1/3 भाग का बेचान कर दिया था, उक्त का नामन्तरण संख्या 546 दिनांक 10.10.2008 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2008 के आधार पर ा, लेटकाबास व पटवारी हल्का लेटकाबास द्वारा नामान्तरण भरकर तस्दीक किया गया तथा वादी 04 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2009 को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को अपना हिस्सा 1/5 दर 1/4 का हिस्सा में से 1/3 भाग का बेचान कर दिया था, उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 560 5 10.08.2009 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2009 के आधार पर निठारा लेटकाबास व पटवारी लेटकाबास द्वारा नामान्तरण भरकर तस्दीक किया गया। इस प्रकार वादीगण ने वाद पत्र के जिमन 01 में वर्णित भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने व इनकी माता कमोद बेवा मदनलाल ने अपना 4/5 भाग में से 1/3 भाग का बेचान किया था तथा शेष हिस्से की भूमि वादीगण संख्या 1 त 3 के बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में अंकित होनी चाहिए थी तथा वादीगण संख्या 4 ने अपना हिस्सा दर हिस्सा 1/4 का हिस्सा में से 1/3 भाग का बेचान किया था तथा शेष हिस्से की भूमि वादी 4 के बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में अंकित होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से तरण दर्ज होने के बाद वादीगण का नाम जमाबन्दी में से राजस्व रिकार्ड में हटा दिया गया। जबकि ण ने अपने हिस्से में से शेष रही भूमि में राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिए था जो दुरूस्तनीय है। दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

कि वादीगण को इस बाबत आज से सप्ताह भर पूर्व जानकारी हुई जब वादीगण ने अपनी भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल निकलवायी तब वादीगण को पता चला कि उनका नाम जमाबंदी कृत नहीं है, इस पर वादीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण व उसके बाद की जमाबंदी वायी तब वादीगण को पता चला कि उसका नाम जमाबंदी में व राजस्व रिकार्ड में हटा दिया गया पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 07 के कार्यालय में जाकर वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने शेष में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न्यायलय में जाकर राजस्व रिकार्ड में र्ज करने के लिए कहा इस कारण उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक ।

कि वादीगण अपने हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज आबाद है एवं अपने हिस्से की भूमि पर केसी बाधा के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

कि वादीगण को अपना नाम दर्ज नहीं होने से अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है तथा त्र के खण्ड संख्या 03 में वर्णितानुसार वादीगण अपनी उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल आज से भर पूर्व बैंक से ऋण लेने हेतु निकलवाने पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने बाबत

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

बताने पर नाम दुरूस्त बाबत वादपत्र इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी उद्घोषणा पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 336/0.13, 337/0.11, 338/0.16, 339/1.14, 340/0.06, 341/0.09, 342/0.10, 343/0.02, 344/0.24, 345/0.17, 346/0.12, 347/0.26, 357/0.42, 358/0.45, 359/0.04, 360/0.36, 361/0.40, 334/0.51 कुल किता 18 रकबा 3.78 है0 वाकै ग्राम लेटकाबास, पटवार हल्का कांट, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व इनकी माता कमोद बेवा मदनलाल ने अपना हिस्सा 4/5 भाग में से 1/3 भाग का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2008 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान करने के बाद रही शेष भूमि में व वादीगण संख्या 4 ने अपना हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/4 का हिस्सा में से 1/3 भाग का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2009 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के करने के बाद शेष भूमि में राजस्व रिकार्ड में वादीगण व इनकी माता कमोद बेवा मदनलाल का नाम व हिस्सा दर्ज कर खातदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हजफ कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा उक्त आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के रहने को वादीगण के हिस्से में आई भूमि की हद तक रहन मुक्त किया जावे। वादीगण के हिस्से में रहन मुक्त कर शेष भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के हिस्से में शेष रही भूमि पर रहन का इन्द्राज किया जावें प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे। राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे व अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो दिये जाने की कृपा करें।

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश करते हुये जाकर किया की प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के द्वारा उक्त विवादित आराजी में वादी सं0 1 से 4 के हिस्से में आई भूमी में से 1/3 हिस्सा ही भूमि जरिये विक्रय पत्र से क्रय की थी। यदि हमारे नाम वादीगण की सम्पूर्ण भूमि दर्ज हो गी जिसे हमारे द्वारा क्रय की गई भूमि नाम रखते हुये शेष भूमि वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इकवालिया जवाब पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लायी गयी।

फाजिल वादी ने अपनी बहस में मुताबिक दावा में अंकित तथ्यों का राजस्व रिकार्ड से अवलोकन कराते हुये कहा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा इकवालिया जवाब पेश होने से दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी सं0 1 व 3 के द्वारा को तथा वादी सं0 4 के द्वारा उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम अपने नाम दर्ज हिस्से में से 1/3 हिस्से का हि बेचान किया गया है लेकिन जमाबंदी में वादीगण के नाम दर्ज पूर्ण भूमी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दि गयी जबकि विक्रय पत्र के द्वारा वादीगण के नाम भूमी में 1/3 हिस्सा ही बेचा गया था । इस प्रकार वादीगण के नाम 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो दुरूस्ती योग्य पाया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि केन्द्रा बैंक शाखा शाहपुरा के नाम रहन करवा रखी है। लेकिन बैंक की तरफ बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/6 हिस्सा हजफ कर वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं0 6 के रहन में शिथिलता प्रदान कर दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है हाल आराजी खसरा नम्बर 336/0.13, 337/0.11, 338/0.16, 339/1.14, 340/0.06, 341/0.09, 342/0.10, 343/0.02, 344/0.24, 345/0.17, 346/0.12, 347/0.26, 357/0.42, 358/0.45, 359/0.04, 360/0.36, 361/0.40, 334/0.51 कुल किता 18 रकबा 3.78 है0 वाकै ग्राम लेटकाबास, पटवार हल्का कांट, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादी सं0 1 करण देवी पत्नी बाबूलाल तथा प्रतिवादी सं0 2 मीना देवी पत्नी सत्यनारायण के नाम दर्ज 1/4, 1/4 भाग में से 1/6 हिस्सा हजफ कर वादीगण महेश, छुटटन, मुकेश, दिनेश पिसरान मदनलाल व कमोद बेवा मदनलाल को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम उनके हिस्से में आई भूमि 1/3 हिस्सा यथावत प्रतिवादी सं0 6 केन्द्रा बैंक शाखा शाहपुरा के नाम रहन रहेगी। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 15/2023

उनवान

महेश
छुट्टन
मुकेश
दिनेश
} पुत्रान मदनलाल

समस्त व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी–लेटकाबास, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादीगण

बनाम

केरण देवी पत्नी बाबूलाल
मीना देवी पत्नी सत्यनारायण
चेरंजीलाल पुत्र बंशीधर
गाबरमल पुत्र बंशीधर
हनुमान पुत्र श्योबक्स

समस्त व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी–बिदारा, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0
बन्धक केनरा बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांक: 27/2/2023

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है हाल आराजी खसरा नम्बर 336/0.13, 337/0.11, /0.16, 339/1.14, 340/0.06, 341/0.09, 342/0.10, 343/0.02, 344/0.24, 345/0.17, 346/0. 347/0.26, 357/0.42, 358/0.45, 359/0.04, 360/0.36, 361/0.40, 334/0.51 कुल किता 18 3.78 है0 वाकै ग्राम लेटकाबास, पटवार हल्का कांट, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादी सं0 रण देवी पत्नी बाबूलाल तथा प्रतिवादी सं0 2 मीना देवी पत्नी सत्यनारायण के नाम दर्ज 1/4, 1/4 में से 1/6 हिस्सा हजफ कर वादीगण महेश, छुटटन, मुकेश, दिनेश पिसरान मदनलाल व कमोद बेवा मदनलाल को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार त किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम उनके हिस्से में आई भूमि 1/3 हिस्सा यथावत ादी सं0 6 केन्द्रा बैंक शाखा शाहपुरा के नाम रहन रहेगी। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थायी ाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की न्दाजी पैदा नहीं करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

	रूपया		रूपया
द पत्र के लिए स्टाम्प		प्रतिवादी	
क्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
र्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
..... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
क्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
मिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
देशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
		जोड़	